न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 57 / 2019

प्रार्थी

1. बुधाराम पुत्र जोगाराम जाति देवासी निवासी— बुटेलाव तहसील— सोजत जिला— पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण

01. मांगीलाल पुत्र जोगाराम
02. भंवराराम पुत्र फुआराम
03. पनाराम पुत्र फुआराम
04. नारायण पुत्र फुआराम
05. ओगड़राम पुत्र फुआराम जातियान— देवासी, निवासीयान— बुटेलाव तहसील— सोजत जिला— पाली।
06. तहसीलदार भूमिधारक सोजत तहसील सोजत, जिला— पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थितिः—

01. श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री नरेन्द्र सैन तथा श्री दशरथ सिंह चारण अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक : 17/11/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बुटेलावा तहसील सोजत में स्थित खसरा नम्बर 349, 488, 525, 526, 535, 487 कुल खसरा 06 कुल रकबा 6.0200 हैक्टर भूमि आई हुई है। जिस पर तमाम खसरो के खातेदार काश्कार प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 01 संयुक्त रूप से है तथा काश्त कब्जा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 का है। अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 की खातेदारी व काश्त कब्जा सुदा कृषि भूमि केवल तीन खसरा, खसरा नम्बर 21, 41, 531 ही थी तथा संवत् 2030 तक इन अप्रार्थीगण ही इन तीनों खसरों की भूमि के मालिक थे तथा इन्हीं खसरों पर कब्जा था। खसरा नम्बर 349, 488, 525, 526, 535, 487 में अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थी बुधाराम वृद्ध व्यक्ति है, जिसकी आयु करीब 67 वर्ष है जो अनपढ है। अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 ने प्रार्थी बुधाराम के सगे बडे भाई मांगीलाल ने अप्रार्थीगण की सिखावट में आकर लोभ लालच के कारण बिना किसी अधिकार के सैटलमेन्ट अधिकारियों के समक्ष दिनांक 28.02.1974 को उसे मिलावट कर अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 को लाभ पहुंचाने की नियत से उनको कोई अधिकार नहीं होते हुए भी अप्रार्थी मांगीया के बयान लेकर अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 के नाम प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि उनके नाम गलत करने का आदेश किया जबकि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर इन लोगों का कोई कब्जा नहीं था। बुधाराम प्रार्थी द्वारा कोई बयान नहीं दिए गए थे उसकी बिना सहमति प्रार्थी बुधाराम की भूमि को अप्रार्थीगण के नाम करने का कोई अधिकार नहीं था। साथ ही सैटमेन्ट विभाग को एवं सैटलमेन्ट अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार देने का कोई अधिकार नहीं है तथा सैटलमेन्ट विभाग केवल तत्कालिन राजस्व रेकर्ड में उस समय उस प्रविष्टि को रिपिट ही कर सकते थे उसके अलावा उन्हें कोई अधिकार नहीं था। राजस्व

उपखण्ड अधिकारी

रेकर्ड में अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 द्वारा अपना गलत नाम दर्ज करा कर खसरा नम्बर 488, 525, 526 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.0300 हैक्टर की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 के नाम गलत दर्ज कर इनका नाम गलत इन्द्राज कर दिया तथा अप्रार्थीगण ने बाले बाले इनका पता भी प्रार्थी को नही चलने दिया तथा मौके पर निरतंतर कब्जा काश्त प्रार्थी का ही चला आ रहा है। इस वाद के साथ ट्रैस नक्शे का भौतिक रूप से नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है। जिसमें पक्षकारों के कब्जे अनुसार लाल, हरी स्याही से दर्शाये गये है जो प्रदार्श 01 व 02 है जो इस वाद के अभिन्न अंक हे। लाल स्याही से दर्शाये गए खेत खसरा संख्या 488, 525, 487, 535, 349 का 01/02 हिस्सा उतरी दिशा की तरफ आधा प्रार्थी बुधाराम एवं मांगीलाल का आधा है। अन्य खसरा संख्या 21, 41, 526, 531, 349 का 01/02 हिस्सा दक्षिणी हिस्सा हरी स्याही से दर्शाया गया है जो अप्रार्थीगण के कब्जे में है। इस तरह अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 ने अप्रार्थी संख्या 01 से मिलावट कर राजस्व सैटलमेन्ट अधिकारियों से मिलावट कर अप्रार्थीगण के खाते में तीन खसरा नम्बर 488, 525, 526 में उनके नाम गलत खातेदारी दर्ज की जबकि खसरा संख्या 488, 525, 526 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल की खातेदारी है था आज भी कब्जा है। जिन तीन खसरों को पुनः प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज करवाने हेतु एवं उके नाम खातेदारी दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया जा रहा है तथा अप्रार्थीगण ने लाठी लकडी के बल पर खसरा संख्या 526 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे काश्त में नाजायज तरीके से तंग परेशान कर रहे है तथा ऐलानिया धमकियां दे रहे हैं कि खसरा संख्या 525, 526 की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 के नाम गलत होने के कारण उसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 को नाजायज तरीके से बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं। इसलिए उन्हें रोका जाना आवश्यक है। दिनांक 11.07.2019 को सभी अप्रार्थीगण मौके पर आकर प्रार्थी के कब्जा काश्त सुदा खसरा संख्या 488, 525, 526 पर नाजायत खडाई करने लगे रात्रि में खडाई करने लगे तथा मना किया लेकिन नही माने भाग गए जिसका मुकदमा प्रार्थी का पुत्र ओमाराम ने पुलिस थाना सोजत सिटी में किया जो जैर अनुसंधान है।

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के सादिर फरमाई जावे कि खसरा संख्या 349, 488, 525, 526, 535, 487 कुल खसरा 06 कुल रकबा 6.0200 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के काश्त करने में अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 कोई दखलअंदाजी नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पाबंद करवाया जावे। अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 को प्रार्थी को फसल बोने के अवेरने खडाई करने में निदाण करने में कोई दखलअंदाजी नहीं करे ऐसा आदेश भी पारित किया जाना आवश्यक है। अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 को रोका जाना आवश्यक है कि अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 खसरा संख्या 488, 525, 526 की कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्तियों को नहीं बेच, बक्सीस, हसन्तरण इत्यादि नहीं करे तथा यदि अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का बेचान, हस्तान्तरण का दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 06 के समक्ष पेश करे तो उसे पंजीयन नहीं कर पुनः लौटा का आदेश करवाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को बावजूद तामीली सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह चारण ने वकालतनामा पेश किया। तथा आज दिनांक तक जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने में विफल रहने से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर दिनांक 17.10.2022 को समाप्त किया गया। अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि सरहद मौजा बुटेलाव में होना स्वीकार किया। पैरा संख्या 3 से 5 प्रार्थी द्वारा स्वयं सिद्ध करना अंकित किया है तथा पैरा संख्या 6 व 7 कानूनी होना बताया है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 द्वारा अपना गलत नाम दर्ज करा कर खसरा नम्बर 488, 525, 526 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.0300 हैक्टर की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 के नाम गलत दर्ज कर इनका नाम गलत इन्द्राज कर दिया तथा अप्रार्थीगण ने बाले बाले इनका पता भी प्रार्थी को नही चलने दिया तथा मौके पर निरतंतर कब्जा काश्त प्रार्थी का ही चला आ रहा है। इस वाद के साथ ट्रैस नक्शे का भौतिक रूप से नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है। जिसमें पक्षकारों के कब्जे अनुसार लाल, हरी स्याही से दर्शाये गये है जो प्रदार्श 01 व 02 है जो इस वाद के अभिन्न अंक हे। लाल स्याही से दर्शाये गए खेत खसरा संख्या 488, 525, 487, 535, 349 का 01/02 हिस्सा उतरी दिशा की तरफ आधा प्रार्थी बुधाराम एवं मांगीलाल का आधा है। अन्य खसरा संख्या 21, 41, 526, 531, 349 का 01/02 हिस्सा दक्षिणी हिस्सा हरी स्याही से दर्शाया गया है जो अप्रार्थीगण के कब्जे में है। इस तरह अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 ने अप्रार्थी संख्या 01 से मिलावट कर राजस्व सैटलमेन्ट अधिकारियों से मिलावट कर अप्रार्थीगण के खाते में तीन खसरा नम्बर 488, 525, 526 में उनके नाम गलत खातेदारी दर्ज की जबकि खसरा संख्या 488, 525, 526 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल की खातेदारी है था आज भी कब्जा है। जिन तीन खसरों में पुनः प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज करवाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र कपोलकल्पित व वर्णित तथ्यों को झुठा बताते हुए खारिज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तु प्रार्थना मय शपथ पत्र तथा फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पक्षकारों के हक अधिकार दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायत होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य अप्रार्थी गण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित नही समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 17/11/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)